न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–625 सन् 2010

जग नारायण शर्मा.....वादी।

बनाम

बिन्देश्वरी शर्मा व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 20.10.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरीं है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 21.12.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में वादी के तरफ से गवाही चल रही थी लेकिन कोरोना की बीमारी के चलते अदालत की कार्यवाही नहीं हो रही थी तथा अदालत के द्वारा गवाही नहीं लि जा रही थी। जिसके चलते वादी के तरफ से गवाही नहीं आ रही थी। वादी की गवाही दिनांक 31.03.2021 को बंद हो गई तथा जिस समय वादी की गवाही बंद हुई इस समय कोरोना की बीमारी चल रही थी तथा आज दिनांक 21.12.2021 को जब वादी अधिवक्ता अभिलेख का अवलोकन किये तब पता चला कि वादी की गवाही बंद हो चुकी है तथा वादी को पहले से जानकारी नहीं थी कि वादी का साक्ष्य बंद हो चुका है। अतः निवेदन है कि दिनांक 31.03.2021 के आदेश को रिकॉल कर के वादी की साक्ष्य लेने की कृपा की जाए।

उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दिनांक 31.05.2022 को दाखिल कर कथन है कि वादी ने जो सवाल दिनांक 21. 12.2021 दाखिल किया है वो कानूनन पोषणीय नहीं है। वादी का यह कहना कि कोराना बीमारी के चलते अदालत की कार्यवाही नहीं चल रही थी तथा अदालत के द्वारा गवाही नहीं ली जा रही थी सरासर झूठ एवं सत्य से परे हैं, क्योंकि अदालत में बराबर साक्ष्य ग्रहण किया जा रहा था। वादी के अधिवक्ता को लंबा खिंचने एवं निर्णय बाधित करने के ख्याल से उपरोक्त आवेदन दिया है, क्योंकि वादी की ओर से चार साक्षियों का साक्ष्य कराया जा चुका है। तथा अन्य साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करने के कारण वादी का साक्ष्य पूर्व में भी दिनांक 20.12.2016 को बद कर दिया गया एवं प्रतिवादी सं0 01

को अगली तिथि दिनांक 02.03.2017 को साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 20.12.2016 के आलोक में प्रतिवादी सं0 01 का शपथ साक्ष्य दिनांक 02.03.2017 निश्चित तिथि को दाखिल किया गया तथा साक्ष्य की कॉपी वादी के अधिवक्ता को दी गई। उसी दिन दिनांक 02.03.2017 को ही वादी के द्वारा पूर्व में दाखिल दिनांक 06.02. 2017 के आवेदन को खर्चा के साथ वादी के पुनः साक्ष्य हेतु पूर्व में पारित आदेश दिनांक 20.12.2016 को रिकॉल किया गया जिसे आदेश दिनांक 02. 03.2017 के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तथा प्रतिवादी का साक्ष्य नहीं हो सका। आदेश रिकॉल होने एवं वादी को साय कराने के आदेश के बावजूद वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। बार बार निर्देश करने के बावजूद भी वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उचित पैरवी भी नहीं किया जाता रहा। जिससे प्रतिवादी सं0 01 काफी परेशान एवं हैरान हो गया तथा काफी वृद्ध होने के चलते जीवन एवं केस से निराश हो गया। वादी इसी फिराक में केस को लटकाये रखा कि प्रतिवादी की मृत्यु हो जाए। जबकि मोकदमा साधारण बंटवारा का है। सारी स्थिति एवं परिस्थिति को देखते हुए न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक 31.03.2021 को वादी का साक्ष्य बंद किया गया एवं प्रतिवादी को अगली तिथि निश्चित तिथि को साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेशित किया गया। प्रतिवादी सं0 01 बिन्देश्वरी शर्मा को पुनः शपथ साक्ष्य निश्चित तिथि दिनांक 23.06.2021 को दाखिल किया गया तथा उसकी कॉपी वादी के अधिवक्ता को दी गई तथा वादी के अधिवक्ता द्वारा आंशिक प्रति परीक्षण प्रतिवादी सं0 01 का किया गाय है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का आदेश दिनांक 21.03.2021 को रिकॉल करने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 01 का प्रति परीक्षण वादी के अधिवक्ता करे अथवा साक्षी को मुक्त करना न्यायहित में जरूरी है। वादी के द्वारा दाखिल आवेदन मिसकैरेज ऑफ जस्टीस है। अतः निवेदन है कि वादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 21.12.2021 को खर्चा के साथ खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु लंबित है तथा प्रतिवादी सं0 01 का शपथ पूर्ण बयान प्रस्तुत किया, जिसका आंशिक प्रति परीक्षण वादी के

विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया तथा शेष प्रति परीक्षण होना बाकी है। इसी बीच वादी के द्वारा दिनांक 31.03.2021 के आदेश को वापस लेते हुए पुनः वादी को साक्ष्य देने की अनुमति मांगी गई है। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि वादी का साक्ष्य दिनांक 31.03.2021 के पूर्व दिनांक 20.12.2016 को बंद किया गया था जिसे वादी के आवेदन पर दिनांक 02.03.2017 को खर्चा पर रिकॉल किया गया, किन्तु दिनांक 02.03. 2016 से दिनांक दिनांक 31.03.2021 करीब 4 वर्षों के बाद भी वादी के द्व ारा साक्ष्य पूर्ण नहीं कराया गया। तब न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक 31.03. 2021 को वादी साक्ष्य बंद किया गया तथा प्रतिवादी की ओर से एक साक्षी का शपथपूर्ण बयान दाखिल है जिसका शेष प्रति परीक्षण वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया जाना शेष है। वादी 11 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी अपना साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए हैं। जबकि प्रतिवादी साक्षी का प्रति परीक्षण शेष है। ऐसी स्थिति में वादी का साक्ष्य रिकॉल किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार, वादी का आवेदन दिनांक 21.12.2021 को खारिज किया जाता है।

वाद दिनांक.....वास्ते प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।